संख्या-30/2018/3182/22-2-2017-17(111)/2004

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 11 जनवरी, 2018***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री मानू खां निवासी जनपद-बिजनौर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-43449/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-06.09.2016) दिनांक 06.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री मानू खां, जो बरहापुर, थाना-बढापुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 06.04.1975 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू और उस्तरा से नफीस की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-170ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 18.12.1975 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.1981 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2016 तक 25 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 33 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 06.04.1975 को अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू और उस्तरा से नफीस नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 59 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री मानू खां को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- प्रकरण मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट पिटी0 क्रि0मि0 सं0-140/2017 मुन्ना खां बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में में पारित आदेश दिनांक 06.11.2017 से आच्छादित है। अत: उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मुन्ना (बन्दी संख्या-47491) पुत्र श्री मानू खां निवासी जनपद-बिजनौर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-30/2018/3182(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-30/2018/3182/22-2-2017-17(111)/2004

दिनांक 11 जनवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री मानू, जो बरहापुर, थाना-बढापुर, जनपद-बिजनौर का रहने वाला है। बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 06.04.1975 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू और उस्तरा से नफीस की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-170ए/1975 में भा0द0वि0 की धारा- 302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, बिजनौर के आदेश दिनांक 18.12.1975 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 23.01.1981 द्वारा अपील को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को बहाल रखा गया तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 14.06.2016 तक 25 वर्ष 01 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 33 वर्ष 03 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख करते हुए कि बन्दी ने पुरानी रंजिश के कारण दिनांक 06.04.1975 को अपने 01 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर चाकू और उस्तरा से नफीस नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 59 वर्ष है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है, जिसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बिजनौर द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दु की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मुन्ना पुत्र श्री मानू खां को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in